

उत्तर प्रदेश सरकार

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) का आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र)

प्रमाण पत्र संख्या : 389252000162 (वर्ष 2024-25 के लिए वैध) दिनांक 20/01/25

राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक

रविन्द्र श्रीवास्तव

के अनुसार प्रमाणित श्री/श्रीमती/कुमारी उज्जवल श्रीवास्तव

पुत्र/पुत्री/पत्नी

ग्राम/मोहल्ला 523/20/8

उचवागढी राजापुर

डाकघर राजापुर

जिला प्रयागराज

राज्य/संघ शासित प्रदेश

उत्तर प्रदेश

पिनकोड

211002

के मूल निवासी है। जिनको

फोटो नीचे अनुप्रमाणित है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उनकी/उनके परिवार की सकल वार्षिक आय

8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये केवल) से कम है। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार उनके/उनके परिवार के पास

निम्नलिखित में से कोई भी सम्पत्ति नहीं है।

- 05 एकड़ और उससे ऊपर कृषि भूमि
- 1000 वर्ग फिट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट
- अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्गगज और उससे अधिक का आवासीय भूखण्ड
- अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड

- श्री/श्रीमती/कुमारी उज्जवल श्रीवास्तव सामान्य जाति से सम्बन्धित है, उसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

शपथकर्ता शपथपत्रक निम्न कथन करता है कि :-



20.1.2025
तहसीलदार (लेखपाल) लेखपाल
सदर, प्रयागराज

20.1.25
(राजस्व निरीक्षक)
अमर सिंह
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र...
तहसील-सदर, प्रयागराज

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर

20.1.25
(तहसीलदार)
सदर प्रयागराज



- नोट- 1. आय के अर्न्तगत सभी श्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे इत्यादि शामिल है।
2. इस उद्देश्य के लिए परिवार शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाले व्यक्ति के साता-पिता 10 साल से कम उम्र के भाई-बहन तथा उसके पति/पति और 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल है।
3. ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या सम्पत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय निम्न स्थानों पर शहरो/शहरों में एक परिवार द्वारा रखी गई सम्पत्ति को जोड़ा गया है।